[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 2021

सा.का.नि. ............. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उसके सामने कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

| क्र.सं. | अधिसूचना संख्या तथा तारीख | संशोधन |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 जिसे सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था । | उक्त अधिसूचना में,-<br>(i) प्रस्तावना में, उपवाक्य (i) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संपूर्ण सीमा शुल्क से" के पश्चात शब्द, अंक और कोष्ठक "और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से" जोड़े जाएंगे ।<br>(ii) स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और कोष्ठक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर की मानक दर का योग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा । |
| 2. | अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009, जिसे सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था । | उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उक्त सीशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1062 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) की तहत जारी की गई किसी भी प्रभावी अधिसूचना के साथ पठित कर का दर होगा" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "जारी की गई ततसमय प्रवृत किसी अन्य आधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर का योग अभिप्रेत है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा । |
| 3. | अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, | उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में विनिर्दिष्ट |

| | | |
|---|---|---|
| | 2007, जिसे सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था । | सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) की तहत जारी की गई किसी भी प्रभावी अधिसूचना के साथ पठित कर का दर होगा" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "जारी की गई ततसमय प्रवृत किसी अन्य आधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर का योग अभिप्रेत है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा । |
| 4. | अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था । | उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानक दर से है" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर का योग अभिप्रेत है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा । |

[फाइल संख्या 334/02/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार

नोट:

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 को सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 68/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 जुलाई, 2017 जिसे सा.का.नि. 962 (अ), दिनांक 27 जुलाई, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

2. प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 को सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 964 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

3. प्रधान अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020 जिसे सा.का.नि. 70 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

4. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, को सा.का.नि. संख्या 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 694 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।